





DEPARTMENT OF REVENUE OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX: BENGALURU ZONE (CCA)

P.B.NO.5400, C.R.BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU - 560001

Pcco email: ccbz-excise@nic.in

Section email: ao.estt-pccobz@gov.in

Ph.080-22864523 (Extn.257/258)

फ.स./FILE NO.-GCCO/II/3/PROM/2/2024-ESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-BENGALURU

स्थापना आदेश सं. 140/2024 ESTABLISHMENT ORDER NO. 140/2024

विषय: केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक [ग्रुप ख (राजपत्रित)] के संवर्ग में पदोन्नति - आदेश ।

Sub:- Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax, Central Excise and Customs [Group "B" (Gaz)] – Order.

वर्ष 2023 के तीसरी अनुपूरक डी.पी.सी. के फलस्वरूप, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों (नीचे तालिका-1 में दिखाए गए) को नियमित आधार पर बेंगलूरु सी.जी.एस.टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अंचल में केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ग्रुप- ख (राजपत्रित) के अधीक्षक संवर्ग में, पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान के साथ-साथ स्वीकार्य सामान्य भत्ते पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent to holding the 3rd Supplementary DPC for the year 2023, the following Inspectors of Central Tax, Central Excise and Customs (shown in Table – 1 below) are hereby promoted to the grade of **Superintendent of Central Tax, Central Excise and Customs Group 'B' (Gazetted) on regular basis**, in the Bengaluru CGST, Central Excise & Customs Zone, in the pay scale of Level 8 of Pay Matrix plus usual allowances as admissible with effect from the date of assumption of the charge of the promoted post and until further orders.

तालिका-1/**TABLE - 1**:

अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कु.) NAME OF THE OFFICER S/SHRI/SMT/KUM	जन्म तिथि DATE OF BIRTH	वर्तमान तैनातित स्थान PRESENT PLACE OF POSTING
ANKUR SINGH	03/08/1988	BENGALURU CUSTOMS – CITY (APPEALS)
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु.) NAME OF THE OFFICER S/SHRI/SMT/KUM	(सर्वश्री/श्रीमती/कु.) जन्म तिथि NAME OF THE DATE OF OFFICER BIRTH S/SHRI/SMT/KUM

2.	GAJENDRA SINGH YADAV	30/04/1992	BENGALURU CUSTOMS – AIRPORT & ACC
3.	MUKESH KUMAR	01/08/1989	BENGALURU CUSTOMS - CITY
4.	JATIN KUMAR VERMA	04/09/1987	BENGALURU NORTH
5.	ANKIT RAJPOOT	10/09/1994	PCCO, CENTRAL TAX, BENGALURU ZONE (ON LOAN BASIS TO DRI, BENGALURU)
6.	ROHIT KUMAR BHADANA	05/09/1989	BENGALURU CUSTOMS – CITY
7.	AMIT KUMAR SINGH	20/02/1989	BENGALURU AUDIT – I
8.	NIDHI VAISHNAV	27/11/1993	BENGALURU NORTH (ON LOAN BASIS TO NACIN, JAIPUR)
9.	NARENDER	14/08/1988	MYSURU CENTRAL TAX (APPEALS)
10.	SANJEEV YADAV	11/11/1990	BENGALURU SOUTH
11.	VINEET SUMAN	26/09/1987	BENGALURU CUSTOMS – AIRPORT & ACC
12.	VIKAS KUMAR GUPTA	10/01/1993	BENGALURU CUSTOMS – CITY

2. उपरोक्त पदोन्नितयां माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में श्री समीरन रॉय एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर डब्ल्यूपीसीटी संख्या 261/2008 के परिणाम तथा जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य द्वारा फा.सं. 36012/45/2005-स्था.(आरईएस.) के अंतर्गत डीओपीटी के दिनांक 10.08.2010 के कार्यालय जापन के कार्यान्वयन के मुद्दे पर दायर एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

The above promotions are subject to the outcome of the WPCT No. 261/2008 filed by Shri Samiran Roy & Ors. v/s. Union of India in the Hon'ble Calcutta High Court and the final decision of the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 30621 of 2011 filed by Jarnail Singh & Ors. v/s Lachhmi Narain Gupta & Ors. on the issue of implementation of DOPT's O.M. dated 10.08.2010 under F.No. 36012/45/2005-Estt(Res.).

3. अधीक्षक के संवर्ग में उपर्युक्त पदोन्नित किसी न्यायिक फोरम के समक्ष वरीयता/पदोन्निति/आरक्षण/सतर्कता या अन्य कोई मामलों पर लंबित किसी भी प्रकार के मुकदमे के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा ।

The above promotion to the grade of Superintendent is subject to the outcome of any litigation pending on the issue of seniority/ promotion/ reservation/ vigilance or any other issues before any judicial forum.

4. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ अगले नियमित स्थानांतरण का आदेश दिए जाने तक उपरोक्त अधिकारियों की अधीक्षक के पद पर पदोन्नति 'इन-सीटू' आधार पर होगी।

The promotion of the above officers to the grade of Superintendent shall be on in situ basis till regular postings are ordered with the approval of the Competent Authority.

5. परंतु उपरोक्त अधिकारियों में जो वर्तमान में बाहरी संरचनाओं/निदेशालयों में प्रतिनियुक्ति आधार/ लोन आधार पर तैनात हैं, उन्हें उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा तुरंत कार्यमुक्त किया जाना चाहिए और ये अधिकारी यहां दी गई नियत तिथि को या उससे पहले केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूरु अंचल में अधीक्षक के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ग्रेड ख राजपत्रित के अधीक्षक के रूप में उनकी पदोन्नति केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूरु अंचल में कार्यभार ग्रहण करने पर ही प्रभावी होगी।

However, the officers shown above who are presently posted on Deputation basis/ Loan basis to outside formations/ directorates should be immediately relieved by their controlling officer and these officers shall join / assume charge in the grade of Superintendent at the Office of the Principal Chief Commissioner of Central Tax (CGST), Bengaluru Zone on or before the due date given herein. Their promotion as Superintendent of Central Tax, Central Excise and Customs, Gr.B Gazetted, will be effective only on their joining/ assuming charge in the Office of the Principal Chief Commissioner of Central Tax (CGST), Bengaluru Zone.

6. उपर्युक्त दर्शाये गए अधिकारीगण को दिनांक 5.7.2024 या उसके पहले निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा । इनमे से अगर कोई अधिकारी पदोन्नती को अस्वीकृत करतें हैं तो वह अधिकारी पदोन्नती का अस्वीकृती को कारण-सहित लिखित रूप में इस कार्यालय में (सक्षम माध्यम द्वारा) दिए गए दिनांक से पहले पहुंचाए । यादी उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नत पद पर दिए गए दिनांक या उससे पहले कार्यग्रहण नहीं करतें हैं तो डी.ओ.पी.टी के निदेशों के अधीन उन्हें पदोन्नती मे एक साल के लिए विवर्जित करने की कार्रवाई ली जाएगी।

All the officers indicated above should report in the promoted post on or before **5.7.2024.** If any officer does not want to accept the promotion, he/she may make a written request to this office (through proper channel) giving reasons for refusal of promotion, so that the same may reach this office before the given due date here. In case an officer in Table-1 fails to join on or before the given due date, it shall be assumed that the officer has refused to accept promotion, and further action for debarment of promotion for one year will be taken by this office as per DoPT guidelines.

7 . उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करते समय जी.एफ.आर. - 16 के प्रारूप में अपनी कार्यभार रिपोर्ट (दो प्रतियों में) इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित किया जाए। उपरोक्त अधिकारियों के संबंध में वेतन निर्धारण एफआर 22 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। उपरोक्त अधिकारियों को नियमित पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प देना है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिकारियों में से पहले से ही अधीक्षक के पद से संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर में एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तो वे इस आदेश के बाद किसी भी प्रकार के वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे।

The officers promoted above, on taking over charge, should submit their charge report in the form of GFR 16 (in duplicate) to this office, endorsing copies to the concerned officers. The pay fixation in respect of the above officers shall be made under the provisions of FR 22. The above officers should exercise their option for fixation of pay within ONE MONTH from the date of assumption of charge on regular promotion. Further, in case these promoted officers have already been granted financial up-gradation under the MACP Scheme to the Level in the Pay Matrix associated with the post of Superintendent, they are not entitled for any pay fixation on issue of this order.

8. संबंधित प्रधान आयुक्त/ प्रधान एडीजी/ आयुक्त/ एडीजी और संबंधित अन्य सभी पर्यवेक्षी/ नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की यदि कोई भी अधिकारी जिसका नाम ऊपर तालिका-1 में है, निलंबित है या किसी आरोप पत्र या अभियोजन का सामना कर रहा है, उन्हें पदोन्नति पर अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के अनुमित नहीं दी जानी चाहिए और इस तथ्य को तुरंत इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपरोक्त तालिका-1 में दर्शाए गए किसी भी अधिकारी ने वीआरएस ले लिया है या त्यागपत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो यह आदेश उस पर लागू नहीं होगा तथा संबंधित प्राधिकारी इससे संबंधित तथ्यों की सूचना तत्काल इस कार्यालय को देंगे।

The concerned Principal Commissioner/ Pr. ADG/ Commissioner/ ADG concerned and all other supervisory/ controlling officers concerned shall ensure that if any of the officers whose name has figured in the Table-1 above is under suspension or facing any chargesheet or prosecution, he/she should not be allowed to assume charge of the post of Superintendent on promotion and this fact should be reported to this office immediately. Further, if any of the officers figuring in the Table-1 above has taken VRS or resigned or expired, this order would not be applicable to him/her and the concerned authorities shall report the facts relating thereto to this office immediately.

9. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.), बेंगलूरु अंचल के मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Central Tax (CGST), Bengaluru Zone.

(श्रेयस के.एम./ SHREYAS K.M)

संयुक्त आयुक्त (प्र.मु.आ.का) JOINT COMMISSIONER (PCCO)

सेवा में/To

संबंधित अधिकारी/The Individuals (through the officers concerned).

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु अंचल, को कृपया सूचनार्थ The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, for kind information
- 2. प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक, डीआरआई बेंगलूरु /नासिन, जयपुर The Principal Additional Director General/Additional Director General, DRI Bengaluru/ NACIN, Jaipur
- 3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, बेंगलूरु उत्तर/दक्षिण/ लेखापरीक्षा न/ मैसूरु केंद्रीय कर आयुक्तालय The Principal Commissioner/ Commissioner, Bengaluru North/ South/ Audit – I/ Mysuru Central Tax Commissionerates
- 4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, बेंगलूरु सीमा शुल्क -हवाई अड्डा और एसीसी/नगर/सीमा शुल्क -अपील आयुक्तालय

The Principal Commissioner/Commissioner, Bengaluru Customs –Airport & ACC/ City/ Customs – Appeals Commissionerates

- 5. मुख्य लेखा अधिकारी, पी.सी.सी.ओ., केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल The CAO, PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone
- 6. मुख्य लेखा अधिकारी, बेंगलूरु उत्तर/दक्षिण/ लेखापरीक्षा । मैसूरु केंद्रीय कर आयुक्तालय The CAO, Bengaluru North/ South/ Audit – I/ Mysuru Central Tax Commissionerates
- 7. मुख्य लेखा अधिकारी, बेंगलूरु सीमा शुल्क सीसीओ/हवाई अड्डा और एसीसी/नगर/सीमा शुल्क - अपील आयुक्तालय

The CAO, Bengaluru Customs - Airport & ACC/ City/ Customs - Appeals Commissionerates

- 8. प्रशासन अधिकारी (स्था.-बी) , पी.सी.सी.ओ., केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल The AO (Estt B), PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone.
- 9. अधीक्षक (सिस्टम), पी.सी.सी.ओ., केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

The Superintendent (Systems), PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone with a request to upload the order to the departmental website.

10. पीएओ, केंद्रीय कर & सीमा शुल्क, बेंगलूरु/मैसूर The PAO, Central Tax & Customs, Bengaluru/ Mysuru

11. सचिव, अखिल भारतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजपत्रित/अराजपत्रित कार्यकारी अधिकारी संघ, कर्नाटक इकाई।

The Secretary, All India Association of C.Ex. Gazetted /Non-Gaz.Executive Officers, Karnataka Unit.

12. ई.ओ./गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

E.O. / Guard file / Notice Board.